Toppersnotes®
Unleash the topper in you

MP - PSC

राज्य सिविल सेवा

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

भाग – 6

भारत का संविधान एवं राजव्यवस्था

SIERRA INNOVATIONS

भारत का संविधान एवं राजव्यवस्था

क्रमांक	अध्याय का नाम	पृष्ठ संख्या
इकाई - 6 (प्रारंभिक परीक्षा) भारतीय शासन अधिनियम 1919 एवं 1935, संबिधान सभा एवं संवैधानिक संशोधन		
इकाई - 1 (मुख्य परीक्षा) भारतीय संविधान : निर्माण, विशेषताएँ, मूल ढाँचा एवं प्रमुख संशोधन		
1.	**भातीय संविधान** • भारत के संविधान का विकास • संविधान सभा • संविधान सभा की कार्यप्रणाली • संबिधान सभा की समितियां • संविधान के कार्य • प्रस्तावना • भारतीय संविधान की विशेषताएँ	1
2.	**भारतीय संविधान का मूल ढाँचा** • उद्भव • मूल ढांचे के घटक • संविधान की मूल ढाँचे से संबंधित अन्य निर्णय • मूल ढाँचे के सिद्धांत का महत्व • मूल ढाँचे के सिद्धांत की सीमाएँ	16
3.	**संवैधानिक संशोधन** • संवैधानिक प्रावधान • संशोधन के प्रकार • संशोधन की प्रक्रिया • संशोधन प्रक्रिया की आलोचना • संविधान में संशोधन के ऐतिहासिक मामले	20

इकाई - 6 (प्रारंभिक परीक्षाs) नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्त्तव्य एवं राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत		
इकाई- 1 (मुख्य परीक्षा) वैचारिक तत्व : उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व एवं मूल कर्त्तव्य		
4.	**मौलिक अधिकार** • संवैधानिक प्रावधान • मौलिक अधिकारों की विशेषताएँ • छह मौलिक अधिकार • रिट और उसके प्रकार • मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध • मार्शल लॉ(सैनिक विधि) और मौलिक अधिकार • संविधान के भाग III के बाहर के अधिकार • मौलिक अधिकारों के अपवाद • मौलिक अधिकारों का महत्व • मौलिक अधिकारों की आलोचना	**29**
5.	**राज्य नीति के निदेशक तत्व** • संवैधानिक प्रावधान • निदेशक सिद्धांतों की विशेषताएँ • निदेशक सिद्धांतों का वर्गीकरण • बाद में जोड़े गए नए निदेशक तत्व • निदेशक तत्वों की उपयोगिता • राज्य नीति के निदेशक तत्वों का कार्यान्वयन • मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व के बीच संघर्ष	**52**

6.	**मौलिक कर्त्तव्य** • संवैधानिक प्रावधान • मौलिक कर्त्तव्य • मौलिक कर्त्तव्यों की विशेषताएँ • मौलिक कर्त्तव्यों की आलोचना • मौलिक कर्त्तव्यों का महत्व	60
इकाई - 6 (प्रारंभिक परीक्षा) संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद, सर्वोच्च न्यायलय एवं न्यायिक व्यवस्था		
इकाई -1 (मुख्य परीक्षा) संघवाद, केंद्र-राज्य सम्बन्ध, उच्चतम न्यायलय, उच्च न्यायलय, न्यायिक पुनरवलोकन, न्यायिक सक्रियता, लोक अदालत एवं जनहित याचिका		
7.	**संघवाद** • संघीय सरकार एवं एकात्मक सरकार के बीच अंतर • संविधान की संघीय विशेषताएँ • संविधान की एकात्मक विशेषताएँ • संघीय व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन	63
8.	**राष्ट्रपति** • संवैधानिक प्रावधान • राष्ट्रपति का चुनाव • चुनाव में मतों का मूल्य • योग्यता • राष्ट्रपति कार्यालय के लिए शपथ • राष्ट्रपति कार्यालय के लिए शर्ते • राष्ट्रपति कार्यालय की उन्मुक्तियाँ और विशेषाधिकार • राष्ट्रपति कार्यालय का कार्यकाल • राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग • राष्ट्रपति कार्यालय में रिक्ति • रिक्ति पर चुनाव • राष्ट्रपति की शक्तियाँ	66

9.	**उपराष्ट्रपति (उपाध्यक्ष)** ● संवैधानिक प्रावधान ● चुनाव ● योग्यता ● शपथ ● कार्यालय की शर्तें ● परिलब्धियाँ ● कार्यालय का कार्यकाल ● कार्यालय में रिक्ति ● पद से हटाना ● उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर विवाद ● उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ	**69**
10.	**प्रधानमंत्री** ● संवैधानिक प्रावधान ● नियुक्ति ● शपथ ● योग्यता ● कार्यालय का कार्यकाल ● परिलब्धियाँ ● प्रधानमंत्री की शक्तियाँ ● राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंध	**73**
11.	**केन्द्रीय मंत्रिपरिषद** ● संवैधानिक प्रावधान ● संयोजन ● मंत्री की नियुक्ति ● मंत्रियों की शपथ ● मंत्रियों का वेतन ● उनके द्वारा दी गई सलाह की प्रकृति ● मंत्रियों की जिम्मेदारी ● कैबिनेट समितियाँ	**77**

12.	**संसद** ● संवैधानिक प्रावधान ● संसद की संरचना ● दोनों सदनों की संरचना ● संसद की सदस्यता ● संसद के पीठासीन अधिकारी ● संसद में नेता ● संसदीय कार्यवाही के उपकरण ● संसद में विधायी प्रक्रिया ● संसद में बजट ● केंद्र सरकार के लिए निधियाँ ● संसद की शक्तियाँ और कार्य ● संसदीय विशेषाधिकार ● संसद की संप्रभुता ● संसदीय समितियाँ ● संसदीय मंच ● संसदीय समूह	**84**
13.	**केन्द्र-राज्य संबंध** ● संवैधानिक प्रावधान ● विधायी संबंध ● प्रशासनिक संबंध ● वितीय संबंध ● आपात स्थिति के प्रभाव	**122**
14.	**उच्चतम न्यायालय** ● संवैधानिक प्रावधान ● संयोजन ● नियुक्ति ● योग्यता ● शपथ या पुष्टि ● न्यायाधीशों का कार्यकाल ● न्यायाधीशों को हटाना ● वेतन और भत्ते ● उच्चतम न्यायालय का स्थान	**136**

	● न्यायालय की प्रक्रिया ● न्यायालय की स्वतंत्रता ● उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ ● न्यायालय की शक्तियाँ	
15.	**उच्च न्यायालय** ● संवैधानिक प्रावधान ● संयोजन ● नियुक्ति ● न्यायाधीशों की योग्यता ● शपथ या पुष्टि ● न्यायाधीशों का स्थानांतरण ● वेतन या भत्ते ● न्यायाधीशों का कार्यकाल ● न्यायाधीशों को हटाना ● उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार ● शक्तियाँ ● उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता	**141**
16.	**भारतीय न्यायिक प्रणाली के अन्य आयाम** ● अधीनस्थ न्यायालय ● न्यायिक समीक्षा ● न्यायिक सक्रियता ● लोक अदालत ● जनहित याचिका	**145**

<table>
<tr><td colspan="3">इकाई - 10 (प्रारंभिक परीक्षा) राष्ट्रीय और प्रादेशिक संवैधानिक / सांविधिक संस्थाएँ</td></tr>
<tr><td colspan="3">इकाई - 2 (मुख्य परीक्षा) भारत निर्वाचन आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और नीति आयोग।</td></tr>
<tr><td>17.</td><td>संवैधानिक और वैधानिक निकाय
● भारत निर्वाचन आयोग
● राज्य निर्वाचन आयोग
● भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG)
● संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी)
● मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी)
● नीति आयोग
● राज्य के महाधिवक्ता
● भारत का वित्त आयोग
● राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण
● खाद्य संरक्षण आयोग</td><td>153</td></tr>
<tr><td colspan="3">इकाई - 2 (मुख्य परीक्षा) भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, नृजातीयता, और लिंग की भूमिका, भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल और मतदान व्यवहार; सिविल सोसायटी एवं जन आंदोलन; राष्ट्रीय अखंडता और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे।</td></tr>
<tr><td>18.</td><td>भारतीय राजनीति में समाज की भूमिका
● जाति की भूमिका
● धर्म की भूमिका
● नृजातीयता की भूमिका
● लिंग की भूमिका</td><td>173</td></tr>
<tr><td>19.</td><td>राजनीतिक दल और मतदान व्यवहार
● राजनीतिक दल
○ प्रकार
○ दुनिया में पार्टी सिस्टम
○ क्षेत्रीय दल
● मतदान व्यवहार
● लोकतंत्र को मजबूत करने में सिविल सोसाइटी की भूमिका</td><td>180</td></tr>
</table>

20.	**राष्ट्रीय अखंडता और सुरक्षा** ● राष्ट्रीय एकता ● राष्ट्रीय एकता परिषद ● सांप्रदायिक सद्भाव के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन ● महत्वपूर्ण सुरक्षा मुद्दे	**192**
इकाई - 3 (मुख्य परीक्षा) संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के संदर्भ में जनभागीदारी एवं स्थानीय शासन		
21.	**पंचायती राज** ● संवैधानिक प्रावधान ● पंचायती राज का विकास ● 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ● पेसा अधिनियम 1996 ● पंचायतों का वित्त	**195**
22.	**नगर पालिकाएं** ● संवैधानिक प्रावधान ● शहरी निकायों का विकास ● 74वां संशोधन अधिनियम 1992	**205**
इकाई - 10 (प्रारंभिक परीक्षा) राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संवैधानिक / सांविधिक निकाय		
इकाई - 3 (मुख्य परीक्षा) जवाबदेही और अधिकार:- प्रतिस्पर्धा आयोग, सूचना आयोग, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, अजा/अजजा/अपिव आयोग, केंद्रीय-सतर्कता आयोग।		
23.	**जवाबदेही और अधिकार** ● राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ● राष्ट्रीय महिला आयोग ● राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एससी) ● राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एसटी) ● राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) ● बाल संरक्षण आयोग ● केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC)	**214**

	• केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) • भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग • राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग	
इकाई - 3 लोकतंत्र की विशेषताएं:- राजनीतिक प्रतिनिधित्व, निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी। समुदाय-आधारित संगठन (सीबीओ), गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), और स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)। मीडिया की भूमिका और समस्याएँ (इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया)		
24.	**लोकतंत्र की विशेषताएं** • राजनीतिक प्रतिनिधित्व • निर्णय लेने की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी • समुदाय आधारित संगठन सीबीओ • गैर सरकारी संगठन • स्वयं सहायता समूह	229
25.	**मीडिया** • मीडिया के प्रकार • मीडिया की भूमिका • मीडिया के मनमाने उपयोग की चुनौतियाँ	240
इकाई - 4 (मुख्य परीक्षा) भारतीय राजनीतिक विचारक		
26.	**भारतीय राजनीतिक विचारक** • कौटिल्य, • महात्मा गांधी, • जवाहरलाल नेहरू, • सरदार वल्लभ भाई पटेल, • राम मनोहर लोहिया, • डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, • दीनदयाल उपाध्याय, • जयप्रकाश नारायण	247

इकाई - 5 (मुख्य परीक्षा) प्रशासन एवं प्रबंधन		
27.	**प्रशासन और प्रबंधन** ● लोक प्रशासन ● लोक प्रशासन की भूमिका ● आधुनिक लोक प्रशासन ● लोक प्रशासन की अवधारणाएं ● संगठन के सिद्धांत ● सार्वजनिक प्रबंधन	259

1 CHAPTER भारतीय संविधान

- संविधान **नियमों ,उपनियमों** का एक ऐसा **लिखित दस्तावेज** है-
  - जिसके अनुसार **सरकार का संचालन** किया जाता है।
  - जो **देश की राजनीतिक व्यवस्था** का **बुनियादी ढाँचा** निर्धारित करता है।
  - जो **राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका** की स्थापना, उनकी **शक्तियों तथा दायित्वों** का सीमांकन एवं **राज्य के मध्य संबंधों का विनियमन** करता है।

भारत के संविधान का विकास

भारत में कंपनी शासन (1773-1858)

रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 *** कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार तथा भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित किया गया।**	• **मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी** को **बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन** • बंगाल प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल व चार सदस्यों वाली परिषद के नियंत्रण में सरकार की स्थापना • इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड **वारेन हेस्टिंगस** थे। • बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसीडेन्सियों का गवर्नर जनरल कहा जाता था। • **भारत में केन्द्रीय प्रशासन** की नींव रखी। • कलकत्ता में एक **सुप्रीम कोर्ट की स्थापना (1774)** की गई जिसमें एक मुख्यन्यायाधीश एवं तीन अन्य न्यायाधीश थे। • भारत में कंपनी के **राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों** के संबंध में ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट करने के लिए **कंपनी के निदेशक मंडल** को **आवश्यक कर** दिया।
समझौता अधिनियम(बंदोबस्त कानून), 1781	• 1781 के संशोधन अधिनियम ने **सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र** से गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को मुक्त करने के साथ ही **कंपनी के लोक सेवकों के द्वारा अपने कार्यकाल में संपन्न कार्यवाहियों के लिए मुक्त कर दिया गया।** • **कलकत्ता** के सभी **निवासियों** को **न्यायालय के अधिकार क्षेत्र** के **अंतर्गत कर** दिया गया और हिन्दू व मुस्लिमों के बाद उनके निजी कानूनों के हिसाब से तय करने का प्रावधान किया गया। • न्यायालय को **प्रतिवादी के व्यक्तिगत कानून** का प्रशासन करने का अधिकार था।

पिट्स इंडिया एक्ट, 1784	• **द्वैत शासन प्रणाली** की स्थापना की।
	  ○ कंपनी के **वाणिज्यिक मामलों** का प्रबंधन करने के लिए **निदेशक मंडल को अनुमति** दी।
	  ○ अपने **राजनीतिक मामलों** का प्रबंधन करने के लिए **नियंत्रण बोर्ड** नामक निकाय का गठन किया गया।

	• ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य सरकार तथा राजस्व गतिविधियों के पर्यवेक्षण की शक्ति नियंत्रण बोर्ड को प्रदान की गई।
चार्टर अधिनियम, 1813	• भारत में **कंपनी** के **व्यापार एकाधिकार को समाप्त** किया गया। ○ **अपवाद-** चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को कंपनी के अधिकार क्षेत्र में ही रखा गया। • **कर लगाने** के लिए **स्थानीय सरकारो** को **अधिकृत** किया |
चार्टर अधिनियम, 1833	• **बंगाल का गवर्नर जनरल → भारत का गवर्नर जनरल(GGI) बना।** • GGB = भारत के **प्रथम गवर्नर-जनरल (लॉर्ड विलियम बेंटिक)।** ○ सभी नागरिक और सैन्य शक्तियों को निहित किया गया। ○ संपूर्ण ब्रिटिश भारत की अनन्य विधायी शक्तियाँ। • कंपनी → विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन चुकी थी।
चार्टर अधिनियम, 1853	• **भारत का गवर्नर जनरल(GGI)** की परिषद के **विधायी और प्रशासनिक** कार्यों का पृथक्करण किया गया। • गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद गठित करके उसे भारतीय विधान परिषद् नाम दिया गया जिसमें 6 नए पार्षद जोड़े गए। इसने मिनी संसद की तरह कार्य किया। • भारतीयों के लिए भी **भारतीय सिविल सेवाओं** के लिए **खुली प्रतियोगिता प्रणाली की व्यवस्था की गई जिसके लिए मैकाले समिति नियुक्त की गई।** • भारतीय (केंद्रीय) **विधान परिषद्** में **स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ** किया। (6 सदस्यों में से 4 मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की स्थानीय सरकारों द्वारा नियुक्त किए जाएँगे)

भारत में क्राउन रूल (1858 से 1947)

भारत सरकार अधिनियम, 1858	• ब्रिटिश सरकार ने भारत के शासन को अपने अंतर्गत ले लिया। • **एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया** भी कहा जाता है। • **भारत का गवर्नर जनरल (GGI)** के पद को **भारत का वायसराय पदनाम दिया गया (लॉर्ड कैनिंग)।** ○ **भारत का गवर्नर जनरल (GGI)-** भारत में ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि। • **बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स** को समाप्त करके द्वेध प्रणाली को समाप्त किया गया। • भारत के राज्य सचिव, पद का सृजन करके भारतीय प्रशासन पर पूर्ण अधिकार और नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई। • **भारत सचिव** की सहायता के लिए **15 सदस्यीय भारतीय परिषद्** का गठन किया गया।

भारतीय परिषद् अधिनियम, 1861	• भारतीयों को गैर-आधिकारिक सदस्यों के रूप में नामित करने के लिए वायसराय द्वारा नामांकित करने की व्यवस्था की गई। (लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को नामित किया- बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव) • बॉम्बे और मद्रास प्रेसीडेंसी को विधायी शक्तियाँ देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। • बंगाल, उत्तर-पश्चिमी प्रांतों और पंजाब के लिए नई विधान परिषदों की स्थापना की। • वायसराय द्वारा परिषद् के लिए नियम और आदेश बनाए जाएँगे | ○ लॉर्ड कैनिंग द्वारा प्रारंभ पोर्टफोलियों प्रणाली को मान्यता प्रदान की गई। • वायसराय आपातकाल में 6 महीने की वैधता के साथ अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया।
भारतीय परिषद् अधिनियम, 1892	• केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर-सरकारी सदस्यों की वृद्धि की गई। • विधान परिषदें बजट पर चर्चा कर सकती हैं और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया | • केंद्रीय विधान परिषद् और बंगाल चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान | • इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद्, नगरपालिका, विश्वविद्यालय, चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स की सिफ़ारिशो पर गैर-सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति थी |
भारतीय परिषद् अधिनियम, 1909	• मॉर्ले-मिंटो सुधार। • केंद्रीय परिषद् में सदस्य 16 से 60 तक और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्य संख्या एक समान नहीं थी। • दोनों परिषदों के सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे , बजट पर प्रस्ताव पेश कर सकते थे। • वायसराय और राज्यपालों की कार्यकारी परिषदों के साथ किसी भारतीय को संबद्ध होने का प्रावधान। (सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कानून सदस्य के रूप में प्रथम भारतीय) • मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान।
भारत सरकार अधिनियम, 1919	• मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है । • केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का पृथक्करण किया गया। • प्रांतीय विषय- विधान परिषद् के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से गवर्नर द्वारा शाषित| • प्रांतीय विषय- गवर्नर द्वारा अपनी कार्यपालिका परिषद् की सहायता से शासित। • देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की। • वायसराय की कार्यकारी परिषद् के 6 में से 3 सदस्यों का भारतीय होना अनिवार्य था । • सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियन और यूरोपीय लोगों के लिए भी अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। • संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर लोगों को मताधिकार प्रदान करना। • लंदन में भारत के उच्चायुक्त का कार्यालय बनाया गया। • सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक केंद्रीय सेवा आयोग की स्थापना। • प्रांतीय बजटों को केंद्रीय बजट से अलग किया और प्रांतीय विधानसभाओं को अपने बजट अधिनियमित करने के लिए अधिकृत किया गया।

भारत सरकार अधिनियम, 1935	• अखिल भारतीय संघ की स्थापना जिसमें राज्य रियासतें एक इकाई मानी गई। • शक्तियों का तीन सूचियों में पृथक्करण किया गया। ○ संघीय सूची (केंद्र के लिए, 59 विषय) ○ प्रांतीय सूची (प्रांतों के लिए, 54 विषय) ○ समवर्ती सूची (दोनों के लिए, 36 विषय)। • अवशिष्ट शक्तियाँ: वायसराय में निहित किया गया। • प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई। ○ प्रांतों में उत्तरदायी जिम्मेदार सरकारों की शुरुआत की गई। • केंद्र में द्वैध शासन को अपनाकर • संघीय विषयों को हस्तांतरित विषयों और आरक्षित विषयों में विभाजित किया गया था। • 11 में से 6 प्रांतों (बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत) में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। • दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए अलग निर्वाचक मंडल बनाकर साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तार प्रदान किया गया। • भारतीय परिषद् को समाप्त कर दिया गया। • भारतीय रिजर्व बैंक भारत देश की मुद्रा और ऋण को नियंत्रित करने के लिए स्थापना की गई। • संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना । • 1937 में संघीय-न्यायालय स्थापित किया गया।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947	• माउंटबेटन योजना को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया • भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करके इसे स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया। • 15 अगस्त 1947 से भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित किया। • ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने के अधिकार के साथ भारत और पाकिस्तान को दो स्वतंत्र व संप्रभु राष्ट्रों के रूप में विभाजित किया गया। • संविधान सभाओं को अपने संबंधित राष्ट्रों का संविधान बनाने और अपनाने का अधिकार दिया गया। • भारतीय राज्य सचिव के पद को समाप्त कर दिया और राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को अपनी शक्तियों को स्थानांतरित कर दिया। • सिविल सेवकों की नियुक्ति तथा पदों में आरक्षण की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। • इंग्लैंड के राजा से भारत के सम्राट की उपाधि को समाप्त कर दिया गया । • उसे विधेयकों को वीटो करने के अधिकार से वंचित कर दिया या कुछ विधेयकों को उनके अनुमोदन के लिए आरक्षण देने के लिए कहा। • भारत के गवर्नर जनरल तथा प्रांतीय गवर्नरों को राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया।

संविधान सभा

कैबिनेट मिशन योजना ने भारत की एक **संविधान सभा की स्थापना** का **प्रावधान** किया था:

- **कुल सदस्य** = 389 आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत
    - **296 सीटें ब्रिटिश भारत** को आवंटित की गईं

        - **292 सदस्य** - 11 गवर्नर्स के प्रांतों से
        - **4 सदस्य** - 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से
    - **रियासतों** को **93** सीटें दी गईं।
- उनकी संबंधित **जनसंख्या** के **अनुपात में सीटों का** आवंटन किया गया था।
- प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को **आवंटित सीटों** को **मुसलमानों**, **सिखों** और **जनरल** (अन्य) के बीच उनकी **जनसंख्या** के **अनुपात में विभाजित** किया जाना था।
- प्रत्येक समुदाय के **प्रतिनिधियों का चुनाव** उस समुदाय के सदस्यों द्वारा **आनुपातिक प्रतिनिधित्व** द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता था।
- रियासतों के प्रतिनिधियों को **देशी रियासतों** के **प्रमुखों** द्वारा **मनोनीत** किया जाता था।
- **सदस्यों** का **चुनाव अप्रत्यक्ष रूप** से प्रांतीय **विधानसभाओं** के **सदस्यों** द्वारा किया जाता था।
- **जनता** की **भावनाओं** को **प्रस्तुत नहीं** किया, क्योंकि **प्रांतीय विधानसभाओं** के सदस्य **सीमित मताधिकार** पर चुने जाते थे।
- **ब्रिटिश भारतीय प्रांतों** के लिए **चुनाव जुलाई-अगस्त**, 1946 में हुए।
    - **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस** ने 208 सीटें जीतीं,
    - **मुस्लिम ली**ग ने 73 सीटें जीती,
    - 15 सीटें **निर्दलीय** प्रतिनिधियों को मिली।
- रियासतों की **सीटें नहीं भरी** गई क्योंकि उन्होंने **खुद को विधानसभा** से अलग रखने का **निर्णय** लिया|
- सभा में समाज के **हर वर्ग के प्रतिनिधि** थे, लेकिन तत्कालीन हस्तियों में से महात्मा गाँधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे।
- **28 अप्रैल, 1947** को 6 राज्यों के प्रतिनिधि विधानसभा का हिस्सा बने।
- **3 जून 1947** की **माउंटबेटन योजना** के बाद, अधिकांश रियासतों ने सभा में प्रवेश किया।
- बाद में **भारतीय अधिराज्य** से **मुस्लिम लीग भी सभा** में शामिल हो गई।

संविधान सभा की कार्य प्रणाली

- **पहली बैठक-** 9 दिसंबर, 1946
    - केवल **21 सदस्यों** ने भाग लिया।
- **मुस्लिम** लीग ने बैठक का **बहिष्कार** किया और **पाकिस्तान** के रूप में एक अलग देश की **माँग** की।
- **डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा** विधानसभा के **अस्थायी अध्यक्ष** के रूप में चुने गए, (फ्रांस प्रथा की तरह)
- **डॉ. राजेंद्र प्रसाद** को विधानसभा के **स्थायी अध्यक्ष** के रूप में चुना गया था
- **उपाध्यक्ष** : एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी

उद्देश्य प्रस्ताव

- **13 दिसंबर, 1946** को पं**. जवाहर लाल नेहरू** द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया।
    - **22 जनवरी, 1947** को सर्वसम्मति से विधानसभा द्वारा **स्वीकृत** कर लिया गया।
- **महत्वपूर्ण प्रावधान-**
    - भारत को **स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य** घोषित किया।
    - भारत, इसमें शामिल होने वाले **ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों का संघ** होगा।
    - **सीमाएं संविधान सभा द्वारा निर्धारित** की जाएंगी।

- इसके पास **अवशिष्ट शक्तियां** भी होंगी और **सरकार** और **संघ** में निहित प्रशासन की **सभी शक्तियों** और **कार्यों का प्रयोग** करेगी।

- o **संप्रभु स्वतंत्र भारत** की सभी **शक्तियाँ** और **अधिकार भारत की जनता** से प्राप्त होगी।
- o **भारत** के **सभी लोगों को दिया** जाएगा:
  - न्याय- सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक;
  - अवसर की स्थिति और कानून के समक्ष समानता;
  - विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना, संगति और कर्म की स्वतंत्रता
- o दुनिया में अपना सही और **सम्मानित स्थान** प्राप्त करना और **विश्व शांति** को बढ़ावा देने और **मानव जाति** के कल्याण के लिए अपना पूर्ण और इच्छुक योगदान देना।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के बाद परिवर्तन

- **संविधान सभा** → संविधान बनाने के लिए पूरी तरह से **संप्रभु निकाय** बनाया गया।
- देश के लिए **संविधान बनाने** और **सामान्य कानून** बनाने के लिए **जिम्मेदार विधायी निकाय** बन गया।
  - o **संवैधानिक निकाय** के रूप में काम किया → अध्यक्ष: डॉ. राजेंद्र प्रसाद।
  - o एक **विधायिका** के रूप में → जी.वी. मावलंकर अध्यक्ष बने (26 नवंबर, 1949 तक)।
- **मुस्लिम लीग** संविधान सभा से **हट** गई।
  - o संविधान सभा की **कुल सदस्य संख्या** 389 से घटाकर **299** रह गई।
  - o भारतीय प्रांतों की कुल सदस्य संख्या 296 . से घटकर 229 हो गई
  - o रियासतों की कुल सदस्य संख्या 93 से 70 हो गईं।

संविधान सभा द्वारा निष्पादित अन्य कार्य-

- **मई 1949** में भारत की **राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि** की
- भारत के **राष्ट्रीय ध्वज** को 22 जुलाई, 1947 को अपनाया गया
- **राष्ट्रगान** को 24 जनवरी, 1950 को अपनाया गया
- **डॉ. राजेंद्र प्रसाद** को 24 जनवरी, 1950 को **भारत के पहले राष्ट्रपति** के रूप में चुना गया
- **संविधान सभा** ने 24 जनवरी, 1950 को अपना **अंतिम सत्र** आयोजित किया लेकिन **26 जनवरी, 1950** से **1951-52** में **पहले आम चुनाव** होने तक **अंतरिम संसद** के रूप में कार्य जारी रखा।

संविधान सभा की समितियां

	समिति	अध्यक्ष
प्रमुख समिति	संघीय शक्ति समिति	जेनेहरू .एल .
	संघीय संविधान समिति	जेनेहरू .एल .
	प्रांतीय संविधान समिति	सरदार पटेल
	प्रारूप समिति	डॉ बीअम्बेडकर .आर.
	मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों पर सलाहकार समिति	सरदार पटेल
	मौलिक अधिकार उपसमिति-	जेकृपलानी .बी.
	अल्पसंख्यक उपसमिति-	एचमुखर्जी .सी.
	उत्तरपूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम अपवर्जित और आंशिक - समिति-रूप से अपवर्जित क्षेत्र उप	गोपीनाथ बोरदोलोई

	अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र-उप (असम के अलावा) समिति	एठक्कर .वी.
	उत्तरसमिति-पश्चिम सीमांत जनजातीय क्षेत्र उप-	
	प्रक्रिया के नियम समिति	डॉ राजेंद्र प्रसाद
	राज्य समिति (राज्यों के साथ बातचीत के लिए)	जेनेहरू .एल.
	संचालन समिति	डॉ राजेंद्र प्रसाद
लघु समिति	वित्त और कर्मचारी समिति	डॉ राजेंद्र प्रसाद
	साख समिति	एअय्यर .के.
	सदन समिति	बी पट्टाभि सीतारामय्या
	"व्यापार का क्रमसमिति "	डॉ केमुंशी .एम.
	राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति	डॉ राजेंद्र प्रसाद
	संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति	जीमावलंकर .वी.
	अनुसूचित जाति पर तदर्थ समिति	एसवरदाचारी .
	मुख्य आयुक्तों के प्रांतों पर समिति	पट्टाभि सीतारमैया
	संघ के संविधान के वित्तीय प्रावधानों पर विशेषज्ञ समिति	नलिनी रंजन सरकार
	भाषाई प्रांत आयोग	एसध .के.र
	संविधान के मसौदे की जांच के लिए विशेष समिति	जेनेहरू .एल .
	प्रेस दीर्घा समिति	उषा नाथ सेन
	नागरिकता संबंधी तदर्थ समिति	एसवल्लभचारी .

प्रारूप समिति

- **29 अगस्त 1947** को नए संविधान का **मसौदा** तैयार करने के लिए **स्थापित** की गई थी ।
- **समिति के सदस्य सात -**
    - डॉ. बी.आर. अम्बेडकर → अध्यक्ष।
    - एन गोपालस्वामी अय्यंगर।
    - अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर।
    - डॉ. के.एम. मुंशी।
    - सैयद मोहम्मद सादुल्ला।
    - एन.माधव राव (बी.एल.मित्र द्वारा स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने पर सदस्य बनाए गए)।
    - टी.टी. कृष्णमाचारी (1948 में डी. पी. खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली) ।
- संविधान का **पहला प्रारूप** फरवरी, 1948 में तैयार किया गया
- **दूसरा प्रारूप** अक्टूबर, 1948 में प्रकाशित हुआ ।

संविधान का प्रभाव में आना

- **डॉ. बी.आर. अंबेडकर** ने 4 नवंबर, 1948 को **अंतिम प्रारूप** पेश किया।
- **प्रारूप पहली बार पढ़ा** गया, पाँच दिन तक आम चर्चा हुई ।
- संविधान पर **दूसरी बार** 15 नवंबर, 1948 से विचार होना शुरू हुआ।
- **तीसरी बा**र 14 नवंबर, 1949 से विचार होना शुरू हुआ।
- 26 नवंबर, 1949 (**संविधान दिवस**) को पारित किया गया ।
- 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए **प्रारूप संविधान में निहित** थे – प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ।
- अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 में निहित नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान और संक्षिप्त शीर्षक 26 नवंबर, 1949 को लागू।
    - **शेष प्रावधान** 26 जनवरी, 1950 को **लागू** हुए।

- **संविधान** को **अपनाने** के साथ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 और भारत सरकार अधिनियम, 1935 के सभी **प्रावधान निरस्त** कर दिए गए।
- **एबोलिशन ऑफ़ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिस्डिक्शन एक्ट** (1949) लागू रहा ।

संविधान सभा की आलोचना

- **प्रतिनिधि निकाय नहीं** - सीमित मताधिकार द्वारा चुनाव के कारण जनादेश प्रतिबिंबित नहीं हुआ ।
- एक **संप्रभु निकाय नहीं** - क्योंकि इसका गठन ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर किया गया था और उनकी अनुमति से इसकी बैठक आयोजित की गई थी।
- **अमेरिकी संविधान** (जिसमें केवल 4 महीने लगे) की तुलना में **संविधान को तैयार करने में अधिक समय** लगा।
- **कांग्रेस** का **प्रभुत्व** रहा।
- **वकीलों** और **राजनेताओं** का **वर्चस्व** रहा।
- **हिंदुओं का वर्चस्व** रहा।

- **एस.एन. मुखर्जी** = संविधान के मुख्य प्रारूपकार (चीफ ड्राफ्टमैन)।
- **प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा** = सुलेखक (कैलिग्राफर)
  - संविधान के मूल शब्दों को **इटैलिक शैली** में लिखा ।
- **नंद लाल बोस** और **राममनोहर सिन्हा** सहित शांति निकेतन के **कलाकारों द्वारा सुशोभित** और सजाया गया।
- **हिंदी संस्करण की सुलेख** = वसंत कृष्ण वैद्य।
  - **नन्द लाल बोस** द्वारा **सजाया** और प्रकाशित किया गया।
- **हाथी** = संविधान सभा का **प्रतीक।**
  - **हाथी की छवि** सभा की **मुहर** पर खुदी हुई है।
- मूल रूप से, भारत के संविधान ने "**हिंदी भाषा** में **संविधान के आधिकारिक** पाठ" के संबंध में कोई **प्रावधान नहीं** किया।
  - **हिंदी प्रारूप**- 1987 के 58वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बनाया गया जिसने संविधान के अंतिम भाग XXII में एक नया अनुच्छेद 394-ए सम्मिलित किया।

संविधान के कार्य

- **8राजनीतिक समुदाय** की **सीमाओं** को **घोषित और परिभाषित** करना ।
- राजनीतिक समुदाय की **प्रकृति और अधिकार** को **घोषित और परिभाषित** करना ।
- एक **राष्ट्रीय समुदाय** की **पहचान और मूल्यों को व्यक्त** करना ।
- नागरिकों के **अधिकारों और कर्तव्यों** की घोषणा करना और उन्हें **परिभाषित** करना।
- सरकार की **विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शाखाएँ** स्थापित करना ।
- **सरकार या उप-राज्य समुदायों** के विभिन्न स्तरों के बीच **शक्ति का वितरण** करना ।
- राज्य की **आधिकारिक धार्मिक पहचान** घोषित करना |
- विशेष रूप से **सामाजिक, आर्थिक या विकासात्मक लक्ष्यों** के लिए राज्यों को प्रतिबद्ध करना ।